



महाराष्ट्रातील राज्यापत्रा

ग्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

मोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जनवरी 2022—माह १, शब्द 1843

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विधानों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकाल्प, (5) भारत शासन के
आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्यात आयोग, भारत
की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिवर्णन।

भाग 2—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर्त समिति के प्रतिशेषन,
(3) संसद में पुरातात्प्राप्त विधेयक,
(छ) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम,
(ग) (1) प्रालय नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, मोपाल

मोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2022

क्र. एफ-1-(१)105-2018-वी-२-दो—राज्य शासन, श्रीमती यांगचेन दोलकर घूटिया, भाषुसे, रोनारी १५वीं यांगचेन विभाग, इन्दौर को 7 से 13 सितंबर 2021 वो सारा दिवस का
लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके संधारक
अवकाश साते से 14 वर्ष अवधिवर्तिक अवकाश प्रदान
जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती यांगचेन दोलकर घूटिया, भाषुसे
को अवकाश बेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें
अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रानागित किया जाता है कि यदि श्रीमती यांगचेन दोलकर
घूटिया, भाषुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर
उनीं रहती।

मोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2022

क्र. एफ-1-(१)20-2015-वी-२-दो—राज्य शासन,
श्री एम.एल. छारी, भाषुसे पुसिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
पुसिस मुख्यालय, मोपाल को दिनांक 2 से 15 दिसंबर 2021 के
चौथे दिवस का लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति
प्रदान करता है।

275

नियमित, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा आवश्यक लेनदेन मुद्रणालय, मोपाल से शुद्धित सथा प्रकाशित-2022।

क्र. ५४-११-पृ-आ.स-२९३८३-२०२२.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व राहिता (भू-सर्वेषण तथा भू-अधिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व राहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की भाग 64 हासा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अधिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कोँसम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेषण के अधीन लिये गये हैं:—

अनुसूची

खंस	जिला	वहसील	ग्राम/गांव	पटवारी इस्ता क्रमांक/सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेषण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सिवनी	कुर्दा	वहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	वहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी इस्ता,	ग्राम का आवादी क्षेत्र
2	सिवनी	केवलारी	वहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	वहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हस्का,	ग्राम का आवादी क्षेत्र
3	सिवनी	चंदौर	वहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	वहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी इस्ता,	ग्राम का आवादी क्षेत्र
4	सिवनी	छणरा	वहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	वहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हस्का,	ग्राम का आवादी क्षेत्र
5	सिवनी	धनौरा	वहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	वहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हस्का,	ग्राम का आवादी क्षेत्र
6	प्रियनी	धरवाट	वहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	वहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हस्का,	ग्राम का आवादी क्षेत्र
7	सिवनी	सखनारीन	वहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	वहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी इस्ता,	ग्राम का आवादी क्षेत्र
8	सिवनी	सिवनी	वहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	वहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी इस्ता,	ग्राम का आवादी क्षेत्र
9	सिवनी	सिवनी नगर	वहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	वहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी इस्ता,	ग्राम का आवादी क्षेत्र

क्र. 99-11-पृ-आ.स-२९३८३-२०२२.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व राहिता (भू-सर्वेषण तथा भू-अधिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व राहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की भाग 64 हासा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त,